भारत के राजपत्र असाधारण (भाग–I, खण्ड–I) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 56 /(2015–2020)
नई दिल्ली, दिनांकः 22 जनवरी, 2016

विषयः– शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जारी करने तथा इनके हस्तांतरण हेतु लंबित आवेदनों के निपटान संबंधी प्रक्रिया।

इस निदेशालय में व्यापार एवं उद्योग और डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरणों से जहां डीएफआईए को जारी किया जाना है, ऐसे लंबित आवेदनों को प्रक्रियाबद्ध करने तथा जहां डीएफआईए को पहले ही जारी किया जा चुका है उनके हस्तांतरण हेतु आवेदनों को प्रक्रियाबद्ध करने की प्रणाली के संबंध में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं। अतः विदेश व्यापार नीति (2015–20) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा डीएफआईए को जारी करने तथा इनके हस्तांतरण हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं :

1. निर्यात पूर्व डीएफआईए तथा वास्तविक प्रयोगकर्ता शर्त तथा निर्यात पूरा होने के उपरांत इनके हस्तांतरण का उल्लेख विदेश व्यापार नीति 2009–14 में किया गया था। विभिन्न शुल्कों से छूट प्रदान करने का उल्लेख विदेश व्यापार नीति 2009–14 के पैरा 4.2.6 के साथ पठित पैरा 4.2.2 (घ) एवं (ड.) में किया गया था। विदेश व्यापार नीति 2015–20 में दिनांक 01.04.2015 से शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) और वास्तविक प्रयोगकर्ता (एयू) की शर्त को हटा दिया गया है। विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 4.26 के अनुसार अब डीएफआईए स्कीम केवल पश्च निर्यात आधार पर मूल सीमा शुल्क से ही पात्र छूट देने हेतु उपलब्ध है।

2. प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.28 (प्रक्रिया पुस्तक 2009–14 का संदर्भित पैरा 4.12.1) के अनुसार ''अग्रिम प्राधिकार पत्र प्रदान किए जाने से पूर्व किए गए निर्यात/आपूर्ति का जोखिम और जिम्मेदारी पूरी तरह निर्यातक की होगी।''

   इसके अतिरिक्त, यदि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्यातक को शुल्क वापसी अनुमत करने संबंधी अग्रिम प्राधिकार पत्र का आवेदन, यदि ग्राह्य हो, निरस्त अथवा स्वीकृत कर दिया गया हो, तो उस स्थिति में प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.29 (प्रक्रिया पुस्तक 2009–14 का संबद्ध पैरा 4.12.2) के तहत निर्यातक को शुल्क मुक्त पोतलदान बिलों को शुल्क वापसी पोतलदान बिलों में परिवर्तित करने का भी विकल्प दिया गया है।

3. अधिसूचना सं0 5/2015–20 दिनांक 01.05.2015 के तहत शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम के अंतर्गत ''खांड'' के आयात को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। अतः दिनांक 01.05.2015 को अथवा इसके पश्चात ''खांड'' के आयात हेतु जारी डीएफआईए पर डीएफआईए स्कीम का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

4. डीएफआईए जारी करने तथा इसके हस्तांतरण हेतु किए गए अनुरोधों का निपटान निम्नलिखित पैराग्राफ के अनुसार किया जाएगाः

4.1 <u>वे मामले जिनमें 01.04.2015 तक प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जारी नहीं किया जा सका:</u>

क. **उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01.04.2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था परन्तु निर्यातकों द्वारा 01.04.2015 से पहले कोई निर्यात नहीं किया गया था**– ऐसी परिस्थितियों में, आवेदन पत्र को वैध आवेदन पत्र के रूप में माना जाएगा और क्षेत्रीय प्राधिकरण एफटीपी 2015–20 और एचबीपी 2015–20 के अनुसार पश्च निर्यात के आधार पर डीएफआईए जारी कर सकता है।

ख. **उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01.04.2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था** और 31.03.2015 तक निर्यात आंशिक रूप से/पूर्ण रूप से किए गए थे– ऐसी परिस्थितियों में, क्षेत्रीय प्राधिकरण केवल एफटीपी 2015–20 और एचबीपी 2015–20 के अनुसार पश्च निर्यात के आधार पर ग्राह्यता के अनुसार डीएफआईए जारी कर सकता है।

ग. **उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01.05.2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था और 30.04.2015 तक निर्यात आंशिक रूप से/पूर्ण रूप से किए गए थे**– ऐसी परिस्थितियों में, और जहां निर्यातक ने सिऑन के अनुसार ''खांड'' को निविष्टि के रूप में प्रयोग किया है– ऐसी परिस्थितियों में, डीएफआईए निर्यात खेपों पर 'खांड' की हकदारी की सीमा तक अनुमत होगा जिस पर अनुमत निर्यात आदेश (एलईओ) 30.04.2015, गुरूवार को रात्रि 12:00 बजे तक जारी किए गए हैं। 01.05.2015 को अथवा बाद में अनुमत निर्यात आदेश वाला कोई पोतलदान जहां पर 'खांड' को एक निविष्टि के रूप में प्रयोग किया गया है, को डीएफआईए का पात्र नहीं माना जाएगा। निर्यातकों के पास एचबीपी 2015–20 के पैरा 4.29 के अनुसार पोतलदान बिलों को शुल्क वापसी स्कीम में परिवर्तित करने की सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प रहेगा।

4.2 <u>ऐसे मामले जिनमें शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) (जिनमें निविष्टि के रूप में खांड का आयात शामिल नहीं है) विदेश व्यापार नीति 2009–14 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए थे परन्तु हस्तांतरण हेतु अनुरोध पर दिनांक 30.03.2015 तक विचार नहीं किया जा सका।</u>

ऐसे मामलों में हस्तांतरण हेतु अनुरोध पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विदेश व्यापार नीति 2009–14 के दौरान जारी शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्रों (डीएफआईए) के नियम एवं शर्तों के अनुसार विचार किया जा सकता है, बशर्ते सभी दस्तावेज क्रम में हों।

4.3 <u>खांड के आयात के ऐसे मामले जिनमें हस्तांतरण हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सका।</u>

क. **शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जो कि पूर्ववर्ती विदेश व्यापार नीति 2009–14 के अनुसार पहले ही जारी किए जा चुके थे और इनमें निविष्टि के रूप में खांड को शामिल किया गया था, के संबंध में हस्तांतरण हेतु अनुरोध**– विदेश व्यापार नीति 2009–14 के अनुसार डीएफआईए के ऐसे मामलों में हस्तांतरण के अनुरोधों पर, क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी निर्यात खेपों जिनके लिए बृहस्पतिवार 30.04.2015

को 12:00 बजे रात्रि तक अनुमत निर्यात आदेश (एलईओ) जारी किए गए हैं, के लिए खांड की पात्रता की अनुमति देकर विचार किया जा सकता है। दिनांक 01.05.2015 को अथवा इसके बाद अनुमत निर्यात आदेश (एलईओ) के साथ किया जाने वाला निर्यात अधिसूचना सं0 5/2015–20 को देखते हुए डीएफआईए लाभ का पात्र नहीं होगा। निर्यातक को प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.29 के अनुसार अपने पोतलदान बिलों को शुल्क वापसी स्कीम में परिवर्तित करने की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प होगा।

ख. विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अनुसार दिनांक 01.04.2015 से 30.04.2015 तक किए गए निर्यात जिसमें खांड निविष्टि है, के संबंध में हस्तांतरणीय डीएफआईए हेतु अनुरोध– विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी दिनांक 01.04.2015 से 30.04.2015 तक भेजी गई निर्यात खेपों, जिनके लिए बृहस्पतिवार 30.04.2015 को 12:00 बजे रात्रि तक अनुमत निर्यात आदेश जारी किए गए हैं, हेतु खांड की पात्रता अनुमत करके हस्तांतरणीय डीएफआईए प्रदान कर सकता है। दिनांक 01.05.2015 को अथवा इसके बाद अनुमत निर्यात आदेश (एलईओ) के साथ किया जाने वाला कोई भी निर्यात अधिसूचना सं0 5/2015–20 को देखते हुए डीएफआईए लाभ का पात्र नहीं होगा। निर्यातक को प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.29 के अनुसार अपने पोतलदान बिलों को शुल्क वापसी स्कीम में परिवर्तित करने की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प होगा।

5. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः** डीएफआईए जारी करने/हस्तांतरण करने हेतु क्षेत्रीय प्राधिकरण में लम्बित आवेदनों को प्रक्रियाबद्ध करने हेतु कार्यप्रणाली जारी की गई है।

(अनूप वधावन)
विदेश व्यापार महानिदेशालय
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/94/180/63/एएम 16/पीसी–4 से जारी)